



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092021-229495
CG-DL-E-08092021-229495

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3336]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2021/भाद्र 17, 1943

No. 3336]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2021/BHADRA 17, 1943

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2021

का.आ. 3641(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, झारखंड राज्य के धनबाद जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, जिला भूमि अर्जन अधिकारी, धनबाद, झारखंड को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखंड राज्य के धनबाद जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला धनबाद

क्रम संख्या	अंचल का नाम	मौजा का नाम/थाना सं.	प्लॉट सं./सर्वे सं.	अंश/पूर्ण	क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	तोपचांची	पाकरबेड़ा/129	363	अंश	0.0230	0.0091
2			380	अंश	0.0620	0.0250
3			415	अंश	0.0030	0.0014
4			418	अंश	0.0070	0.0029
5			419	अंश	0.0060	0.0024
6			420	अंश	0.0130	0.0052
7			421	अंश	0.0270	0.0110
8			422	अंश	0.0180	0.0072
9			423	अंश	0.0580	0.0234
10			424	अंश	0.0460	0.0185
11			425	अंश	0.0390	0.0156
12			426	अंश	0.0260	0.0106
13			427	अंश	0.0290	0.0115
14			428	पूर्ण	0.0330	0.0134
15			429	अंश	0.0020	0.0008
1	तोपचांची	करनागोड़ा / 130	282	अंश	0.4010	0.1624
2			283	अंश	0.7750	0.3136

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2200]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निर्देशक (भू एवं सु. और स्टे.वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2021

S.O. 3641 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Dhanbad in the State of Jharkhand hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, District Land Acquisition Officer, Dhanbad, Jharkhand in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Dhanbad in the State of Jharkhand.

District: Dhanbad

Sl. No.	Name of Circle	Name of Mauza/ Thana No.	Plot No.	Affected Status	Acquired Area in Acre	Acquired Area in Hectare.
1	Topchanchi	Pakerbera/129	363	Part	0.0230	0.0091
2			380	Part	0.0620	0.0250
3			415	Part	0.0030	0.0014
4			418	Part	0.0070	0.0029
5			419	Part	0.0060	0.0024
6			420	Part	0.0130	0.0052
7			421	Part	0.0270	0.0110
8			422	Part	0.0180	0.0072
9			423	Part	0.0580	0.0234
10			424	Part	0.0460	0.0185
11			425	Part	0.0390	0.0156
12			426	Part	0.0260	0.0106
13			427	Part	0.0290	0.0115
14			428	Full	0.0330	0.0134
15			429	Part	0.0020	0.0008
1	Topchanchi	Karnagora/130	282	Part	0.4010	0.1624
2			283	Part	0.7750	0.3136

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/ 2200]

A.K. SINHA, Executive Director (LA and SD)